न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 05 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. धारसिंह पुत्र नाथुसिंह उम्र 65 साल
2. उदयसिंह पुत्र नाथुसिंह उम्र 60 साल
3. नेमसिंह पुत्र नाथुसिंह उम्र 45 साल
4. कौशल्या पत्नी ईश्वरसिंह उम्र 55 साल
5. महेशसिंह पुत्र ईश्वरसिंह उम्र 31 साल
6. ओमसिंह पुत्र ईश्वरसिंह उम्र 30 साल
7. अर्जुनसिंह पुत्र ईश्वरसिंह उम्र 24 साल
8. नरपतसिंह पुत्र कालुसिंह उम्र 37 साल
9. हनुमानसिंह पुत्र कालुसिंह उम्र 25 साल
10. सुरजसिंह पुत्र कालुसिंह उम्र 28 साल
11. पपु पत्नी कालुसिंह उम्र 65 साल
12. देवीसिंह पुत्र गोरधनसिंह उम्र 64 साल
13. किशनसिंह पुत्र गोरधनसिंह उम्र 68 साल
14. स्वरूपसिंह पुत्र गोरधनसिंह उम्र 58 साल
15. भुरसिंह पुत्र माधा उम्र 48 साल
16. लीलसिंह पुत्र माधा का मु
    16/1श्रीमती सुन्दरकंवर पत्नी लीलसिंह उम्र 40 साल
    16/2रावतसिंह गोद पुत्र लीलसिंह नाबसलिग जरिये कुदरती वली श्रीमती सुन्दरकंवर
17. मु.सुन्दरकंवर पत्नी माधाराम उम्र

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.द्वारकासिंह पुत्र पदमसिंह उम्र 58
2.भोजराजसिंह पुत्र पदमसिंह उम्र 41
3.चुतरसिंह पुत्र पदमसिंह उम्र 40
4.जसवन्तसिह पुत्र कानसिंह उम्र 21
5.ओमसिंह पुत्र कानसिंह उम्र 18 साल
6.मु.रेखा पत्नी पदमसिंह उम्र 83 साल
7.फुलसिंह पुत्र मगसिंह उम्र 37 साल
8.ओमसिंह पुत्र मगसिंह उम्र 33 साल
9.पीरसिंह पुत्र मगसिंह उम्र 25 साल
10.परमेश्वरसिंह पुत्र मगसिंह उम्र 22
11.रमेशसिंह पुत्र मगसिंह उम्र 19
12.श्रीमती लेहरीदेवी पत्नी मगसिंह उम्र 71 साल जातियान रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर।
13.तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

71 साल जाति रावणा राजुपत
निवासी बाड़मेर गादान तहसील
व जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 135/2013 बअनवान द्वारकासिंह बनाम धारसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सम्पतराज बोथरा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत, श्री अनीलकुमार सोनी रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 30.01.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बाड़मेर गादान के खेत खसरा संख्या 2207, 2212, 2223, 2233, 2236, 2685/2197 में उतरदाता संख्या 01 से 06 को 1/4 हिस्सा एवं खेत खसरा संख्या 226 व 2227 रकबा 84.10 बीघा भूमि में उतरदाता संख्या 01 से 06 को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में अपीलाधीन आराजी का तहसीलदार बाड़मेर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलकर्ता को उपरोक्त विभाजन के कार्य हेतु न तो सूचना दी गई तथा न ही कोई नोटिस दिया गया। तहसीलदार बाड़मेर स्वयं मौके पर भी नहीं गये तथा उतरदातागण के दबाव में आकर मौके के कब्जे से भिन्न मौका रिपोर्ट बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार करवाये बिना ही एक पक्षीय रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया है। अंतिम डिक्री प्राथमिक डिक्री के अनुसार नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जबकि प्राथमिक डिक्री में सहमति भी दी थी। प्रत्येक खसरे में से 1/4 हिस्सा तय हुआ था इसमें प्राथमिक डिक्री अनुसार नहीं होकर अलग–अलग खसरे कर दिये है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त किसी प्रकार की सूचना एवं नोटिस नहीं दिया गया है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है जबकि विभाजन के मामले में तहसीलदार स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.06.2016 को इकबालिया जबाव पेश किया उस आधार पर दिनांक 28.06.2016 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। मौका फर्द दिनांक 23.11.2016 में स्पष्ट किया गया है कि अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव बनाते समय अपीलांटगण मौके पर उपस्थित थे लेकिन फर्द पर हस्ताक्षकर करने से इंकार किया गया। प्रकरण की सुनवाई हेतु दिनांक 07.06.2017 को कैम्प में रखने बाबत अपीलांट को बकायदा नोटिस तामील करवाये गये। अपीलाधीन आराजी को लेकर पुलिस थाना सदर में दर्ज मुकदमा संख्या 09 दिनांक 09.01.2018 से भी अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंटगण का कब्जा काश्त साबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2014-15(Supp.) Page 142
RRT 2014(2) Page 1424

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को एकतरफा विभाजन प्रस्ताव पर उजर एतराज का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अरसा दो दिन पूर्व ही हल्का पटवारी से विवादित खेतों के संबंध में जमाबंदी की नकलें मांगी गई थी उन नकलों को प्राप्त करने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट वकील द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया है। अतः अपीलांट की अपील को मिंयाद बाहर होने से इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलांट को उसकी अपील गुणावगुण पर निपटाने का मौका दिया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि पश्चात अपील प्रस्तुत करने में उसकी ओर से जानबूझकर देरी करने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं हुआ है। केवल ज्ञान कब? किसके द्वारा? होने का कथन नहीं कर देने के तकनीकी एतराजों पर अपील खारिज करने से अपीलांट न्याय से वंचित हो सकता है। लिहाजा अपील प्रस्तुति के विलम्ब को वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए सद्भाविक मानकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया जानबुझकर न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जारी सम्मन की पर्याप्त रूप से तामील की रिपोर्ट प्रतिवेदित है। प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.06.2016 की पालना में प्राप्त निर्देश से तैयार विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे काश्त/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष की मौजूदगी में बनाया जाकर पेश हुआ, जिसमें स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि उपस्थित प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर से इंकार किया, शेष उपस्थित पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाये गये। जिस पर दिनांक 07.06.2017 को अंतिम डिक्री जारी की गई। मौका

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

फर्द दिनांक 23.11.2016 के संलग्न तहसीलदार बाड़मेर द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर युक्त रंगीन नक्शा पेश किया गया है। अपीलाधीन आराजी को लेकर पुलिस थाना सदर में दर्ज मुकदमा संख्या 09 दिनांक 09.01.2018 में रेवेन्यु रेकर्ड उपलब्ध करवाने बाबत पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.02.2018 को पेश फर्द में वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंटगण का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया गया है जिस पर अपीलाधीन आराजी पर रेस्पोडेंटगण का कब्जा काश्त होना साबित होता है। **अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं।** अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds तैयार किये गए तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 135/2013 बअनवान द्वारकासिंह बनाम धारसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 को यथावत रखा जाता है।

30/1/20

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/1/20

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner